न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 372 सन 2019

अनवान :–

1. राजेन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुन्दर पत्नि भादरराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. एच.डी.एफ.सी. बैक शाखा रावतसर तहसील रावतसर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590हैक प0न0 221/394(17) किला न0 19 ,21 ,22/0.759हैक , प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510हैक गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270हैक 2/1 की 0.2280 , प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010हैक 2/1 की 0.2280 , 3/1 की 0.2280 , 4/1 की 0.2280 ,5/1 की 0.2270 ,, 7 ता 8 /0.5060हैक प0न0 218/395(27) किला न0 14 ,15/0.5060 , कुल 4.170 हैक भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा परसाराम पुत्र रतना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा परसाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र भादाराम वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है जिनके देहान्त होने पर वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज है वादी के पिता भादरराम पुत्र परसा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के दादा परसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिनका देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया ।

प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया ।

प्रकरण में वादी के वाद को स्वीकार कर ईकबाल दावा पेश होने के कारण तनकी कायम करने की आवश्यकता नही है एवं साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जिरह नही गई गई इसलिये जिरह शुन्य रही शपथ पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590हैक प0न0 221/394(17) किला न0 19 ,21 ,22/0.759हैक , प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510हैक गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270हैक 2/1 की 0.2280 , प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010हैक 2/1 की 0.2280 , 3/1 की 0.2280 , 4/1 की 0.2280 ,5/1 की 0.2270 ,, 7 ता 8 /0.5060हैक प0न0 218/395(27) किला न0 14 ,15/0.5060 , कुल 4.170 हैक भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा परसाराम पुत्र रतना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा परसाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र भादराम वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है जिनके देहान्त होने पर वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590हैक प0न0 221/394(17) किला न0 19 ,21 ,22/0.759हैक , प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510हैक गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270हैक 2/1 की 0.2280 , प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010हैक 2/1 की 0.2280 , 3/1 की 0.2280 , 4/1 की 0.2280 ,5/1 की 0.2270 ,, 7 ता 8 /0.5060हैक प0न0 218/395(27) किला न0 14 ,15/0.5060 , कुल 4.170 हैक भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2011 के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा परसाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा के परसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता भादरराम के नाम से दर्ज हुई जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जैसलमेर

से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चका है

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590हैक प0न0 221/394(17) किला न0 19 ,21 ,22/0.759हैक , प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510हैक गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270हैक 2/1 की 0.2280 , प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010हैक 2/1 की 0.2280 , 3/1 की 0.2280 , 4/1 की 0.2280 ,5/1 की 0.2270 ,, 7 ता 8 /0.5060हैक प0न0 218/395(27) किला न0 14 ,15/0.5060 , कुल 4.170 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. राजेन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुन्दर पत्नि भादरराम जाति जाट साकिन बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. एच.डी.एफ.सी. बैक शाखा रावतसर तहसील रावतसर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 372 सन 2019 निर्णय दिनांक– 11/12020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 44/37 के प0न0 220/394(16) किला न0 22/2 की 0.1260, 23 ता 25/0.7590हैक प0न0 221/394(17) किला न0 19 ,21 ,22/0.759हैक , प0न0 221/395(24) किला न0 0/1 की 0.0510हैक गै0मु0खाला 1/1 की 0.2270हैक 2/1 की 0.2280 , प0न0 220/395(25) किला न0 0/1 की 0.1010हैक 2/1 की 0.2280 , 3/1 की 0.2280 , 4/1 की 0.2280 ,5/1 की 0.2270 ,, 7 ता 8 /0.5060हैक प0न0 218/395(27) किला न0 14 ,15/0.5060 , कुल 4.170 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)